

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता / 3093
दिनांक : जनवरी, 2008
11/12/08

सचिव,
विश्वेशरैया कालेज ऑफ एजूकेशन,
मेरठाजपुर, मेरठ

महोदय,

अनुसंधान, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या-4142 / सत्तर-2-2008-2 (306) / 2008, दिनांक 04.11.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन विश्वेशरैया कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठाजपुर, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2006-2007 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्थान / महाविद्यालय "प्रपत्र बी" में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसंघित को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली / अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
6. प्रश्नगत पाठ्यक्रम में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि महाविद्यालय / संस्था आवश्यक अवस्थापना सुविधाएं एवं मानकानुसार शिक्षकों का चयन / अनुमोदन पूरा कर लेगी और इस आशय की सूचना शासन को एक माह में उपलब्ध कराया जायेगा।
7. उक्त शैक्षिक सत्र 2006-2007 बी0एड0 पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के माध्यम से सत्र 2006-2007 की काउन्सिलिंग द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानकानुसार 180 दिन का पठन-पाठन कराया जायेगा।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वेशरैया कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठाजपुर, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित पोषित योजना के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन सत्र 2006-2007 से आगामी एक वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि कुलपति जी के निर्देशानुसार बी0एड0 पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश शैक्षिक सत्र 2008-2009 से विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

मवदीय,

मवदीय
कुलपति
कुलसंघित

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसंघित (लेखा) को सूचनार्थ ।
2. प्रभारी, कमेटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित ।
5. डा० आई०आर०एस० सिन्धु, समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. सचिव कुलपति को कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित ।

कुलसंघित

चौधरी चरणसिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut



पत्रांक : सम्बद्धता/ 3612
दिनांक : 20 फरवरी, 2009

सचिव,
विश्वेशरैया कालेज ऑफ एजूकेशन,
मेरठजपुर, मेरठ

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा, अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या सम्ब0-751 / सत्तर-2-2008-2 (306) / 2008, दिनांक 29.12.2008 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन विश्वेशरैया कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठजपुर, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन सत्र 2007-2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है :-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-2-2003-16(92) / 2002 दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
3. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

माननीय शासन द्वारा प्रदत्त उक्त स्वीकृति के आलोक में कार्य परिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में कुलपति जी के आदेशानुसार विश्वेशरैया कालेज ऑफ एजूकेशन, मेरठजपुर, मेरठ को बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ स्ववित्त पोषित योजना के अंतर्गत उपरोक्त शर्तों के अधीन सत्र 2007-2008 से सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इसी क्रम में यह भी सूच्य है कि उक्त पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश विश्वविद्यालय के निर्देशों के अनुसार किये जायेंगे।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. सहायक कुलसचिव (लेखा) को सूचनार्थ।
2. प्रभारी, कमीटी सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी, स्टोर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
4. प्रभारी, गोपनीय (प्रोफेशनल) सैल, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को सूचनार्थ प्रेषित।
5. डा० आई०आर०एस० सिन्धु, समन्वयक बी0एड0 प्रवेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मेरठ
कुलसचिव
द्वारा